

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

25.01.2024

मिसल नम्बर
16/2023 प्रा.पत्र/2023

तारीख दायरा
08.02.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंकप्रार्थी

बनाम

1-श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश जैन निवासी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक
एफ.बी.ओ. मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड-304502
मोबाईल नं. 9610096721
2-मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड-304502
.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की
उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी के पिता श्री सुरेश जैन उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 25.01.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 08.12.2022 को समय 01:30 पीएम पर मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा
जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश जैन मिला, को अपना
परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सिद्धार्थ जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का
एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने खाद्य अनुज्ञा पत्र
दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ गोदाम में 15-15
किलोग्राम पैक के लगभग 23 टिन मूल पैक पैकड अवस्था में तिल्ली का तेल (स्वास्तिक
ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व
निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सिद्धार्थ जैन को फार्म नं.
5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री
सिद्धार्थ जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर
किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह तिल्ली
का तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित



थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, कुल 1600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा तिल्ली का तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) 1600 ग्राम को चार साफ व सूखी शिशियों में बराबर-बराबर 400-400 ग्राम भरकर अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3349 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3349 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की एवं शेष बचे खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल कुल मात्रा 343.4 लीटर को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश जैन की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश जैन ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत आवेदक ने विक्रेता को वारन्टी बिल हेतु पत्र प्रेषित किए परन्तु विक्रेता द्वारा कोई बिल पेश नहीं किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/4002 दिनांक 19.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3442/एक्ट/2022/3487 दिनांक 14.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया तिल्ली का तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके पिता श्री सुरेश जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। अतः



प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस तिल्ली का तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) व मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी के पिता एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया तिल्ली का तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) व मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 60,000/- (अक्षर साठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.01.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(~~डॉ. सुरज सिंह नेगी~~)
न्याय निदेशक एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0